

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा

क्रमांक-
प्रति.

/री -2/भू. अ./2018

188

खण्डवा, दिनांक-10.1.2018

नियंत्रक
केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल

विषय-

“भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013”
की धारा-11 प्रारंभिक अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन होने बाबत। प्रकरण क्रमांक
0010/अ-82/2017-18 ग्राम राहेजला तहसील खण्डवा

---00---

“भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013”
की धारा -11 प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग-1 में होना है। कलेक्टर एवं समुचित सरकार, म.प्र.
शारान, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित धारा -11 प्रारंभिक अधिसूचना की दो प्रतियां (एक मूल प्रति
एवं फोटोप्रति) आपकी ओर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र में शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

अनुविभागीय अधिकारी, एवं
भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा

खण्डवा, दिनांक-10.1.2018

पु.क्रमांक-
प्रतिलिपि-

/री -2/भू. अ./2018

189

1. रांचालक, जन संपर्क संचालनालय, म.प्र.भोपाल की ओर धारा -11 प्रारंभिक अधिसूचना की चार- प्रतियां भेजकर निवेदन है कि, कृपया इस क्षेत्र में पढ़े जाने वाले दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में इनका प्रकाशन करवाकर इसकी -एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
 2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा की ओर सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा गजट प्रकाशन प्रति एवं दो समाचार पत्र प्रकाशन प्रतियां संकलित कर इस कार्यालय को उपलब्ध करावे। समाचार पत्र प्रकाशन व्यय जल संसाधन विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।
 3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर, कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित धारा -11 प्रारंभिक अधिसूचना को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
 4. तहसीलदार खण्डवा की ओर -6 प्रतियां भेजकर लेख है कि निम्न स्थानों पर एक-एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम में डोंडी पिंटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणिकरण के आठ दिवस में वापसी भिजवाने की व्यवस्था करें
1. कलेक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड
 2. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर
 3. तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड
 4. ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर
 5. ग्राम राहेजला की चौपाल पर .

अनुविभागीय अधिकारी, एवं
भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्ती क्रं. / एल. ए. / 145 / 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-0010/अ-82/17-18

खण्डवा, दिनांक 6-1-2018

// प्रारंभिक अधिसूचना //

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः 'भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यपस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013' की धारा 11 (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

// अनुसूची //

भूमि का वर्णन				धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		
01	02	03	04	05	06
खण्डवा	खण्डवा	सहेजला	0.04 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा	नावली तालाब के ग्राम सहेजला के कृषक सतीश पटेल को रास्ता उपलब्ध कराने हेतु

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/ कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अमिषेकासिंह)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला खण्डवा

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा

क्रमांक-
प्रति,

/री -2/भू. अ./2018/ 217

खण्डवा, दिनांक-10.1.2018

नियंत्रक
केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल

विषय-

“भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013”
की सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन होने बाबत।
प्रकरण क्रमांक 0010/अ-82/2017-18 ग्राम सहेजला तहसील खण्डवा

—00—

“भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013”
की सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग-1 में होना है। कलेक्टर
एवं समुचित सरकार, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन
से छूट अधिसूचना की दो प्रतियां (एक मूल प्रति एवं फोटोप्रति) आपकी ओर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र में शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

अनुविभागीय अधिकारी, एवं
भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा

पु.क्रमांक-
प्रतिलिपि-

/री -2/भू. अ./2018/ 218

खण्डवा, दिनांक-10.1.2018

1. संचालक, जन संपर्क संचालनालय, म.प्र.भोपाल की सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट अधिसूचना की चार- प्रतियां भेजकर निवेदन है कि, कृपया इस क्षेत्र में पढे जाने वाले दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में इनका प्रकाशन करवाकर इसकी -एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा की ओर सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा गजट प्रकाशन प्रति एवं दो समाचार पत्र प्रकाशन प्रतियां संकलित कर इस कार्यालय को उपलब्ध करावे। समाचार पत्र प्रकाशन व्यय जल संसाधन विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर, कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट अधिसूचना को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. तहसीलदार खण्डवा की ओर -6 प्रतियां भेजकर लेख है कि निम्न स्थानों पर एक-एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणिकरण के आठ दिवस में वापसी भिजवाने की व्यवस्था करें
1. कलेक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड 2. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर
3. तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड 4. ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर
5. ग्राम सहेजला की चौपाल पर .

अनुविभागीय अधिकारी, एवं
भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्ती कं. /एल. ए./ 145 /2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक- /अ-82/2017-18

खण्डवा, दिनांक 6.11.2018

// अधिसूचना //

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक 3621/कार्य/भू-अर्जन /2017 दिनांक 2.11.2017 प्रस्तुत कर नावली लघु सिंचाई योजना के तहत तालाब बनाने के कारण ग्राम सहेजला के कृषक श्री सतिश पटेल का खेत में आने जाने का शासकीय रास्ता डूब क्षेत्र में आने से आवागमन में कठिनाई हो रही है। उक्त के निराकरण हेतु कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग की ओर से रास्ता बनाये जाने हेतु ग्राम सहेजला की 0.04 हे निजी भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया। साथ ही भूमि का अधिग्रहण शीघ्रता से किये जाने का अनुरोध किया गया।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र.शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)/2014-सात-2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मै अभिषेकसिंह कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधियी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :-

स.क.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. मे.	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	खण्डवा	16	सहेजला	0.04 हे.	नावली तालाब के ग्राम सहेजला के कृषक सतीश पटेल को रास्ता उपलब्ध कराने हेतु

नोट :- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/ उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(अभिषेकसिंह)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला खण्डवा